प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 131 / **2023** (अपील सूचना का अधिकार)

भाविका जैन पुत्री स्व. प्रफुल्ल जैन C/o सुरेश कुमार कोठारी पताः कन्याशाला के पास, वार्ड नंबर–8, वल्लभनगर, उदयपुर

..............**अपीलार्थीयां**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 6-11-2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीयां द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 28.08.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीयां को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थीयां दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 131 / 23 / 1381–82 दिनांक 18.10.2023 से लिखा गया।

अपीलार्थीयां अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलार्थीयां द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किये गये।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब जरिये पत्रांक प. / 41 / 2 / सू.अ. / प्रथम अपील / 131 / 2023 / 1151 दिनांक 19.10.2023 से जवाब प्रस्तत कर कार्यालय का अवगत कराया कि प्रार्थीयां द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थीयां द्वारा चाही गई वांछित सूचना बिन्दु संख्या 1 में प्रार्थीयां के आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2023 पर आवक–जावक अनुभाग की टिप्पणी अनुसार बताया गया कि उक्त पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर को भेजा गया है। बिन्दु संख्या 2 में प्रार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 01.08.2023 पर आवक जावक अनुभाग की टिप्पणी अनुसार बताया गया कि उक्त पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर को भेजा गया एवं प्रार्थना

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पत्र दिनांक 16.08.2023 पर आवक–जावक की टिप्पणी अनुसार विकास अनुभाग में भेजा गया उक्त विभाग द्वारा प्राप्त जवाब से प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 1072 दिनांक 04.10.2023 से रजिस्टर्ड डाक से भिजवा दिया गया है। बिन्दु संख्या 3 में चाही गई सूचना अनुसार उक्त तीनों प्रार्थना पत्र दिनांक 07.07.2023 एवं 01.08.2023 का संबंध जिला परिषद से होने से इस कार्यालय के पत्रांक 991–92 दिनांक 14.09.2023 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अंतरित कर दिया गया है। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

अपीलार्थीयां द्वारा दिनांक 24.10.2023 को जवाब प्रत्युतर प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया ने अपने सूचना हेतु आवेदन पत्र में चार बिन्दुओं पर सूचना/जानकारी/प्रमाणित प्रतियां मांगी थी जिस लोक सूचना अधिकारी पदेन अति. जिला कलक्टर महोदय द्वारा स्मरण पत्र द्वितीय दिनांक 16.08.2023 के एक पेज की फोटो कॉपी उपलब्ध करवाते हुए अंकित किया कि "आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसके संदर्भ में चाही जा रही सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त होने पर पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।" अप्रार्थी द्वारा केवल मात्र एक पत्र के एक पृष्ठ की सूचना रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर खाना–पूर्ति कर दी गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत सूचना हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2023 का अवलोकन फरमा आवेदन पत्र मे अंकित सभी सूचनाएं/जानकारी/प्रमाणित प्रतियां निःशुल्क दिलाने का कष्ट करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थीयां द्वारा अपने आवेदन दिनांक 28.08.2023 जो जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 01.09.2023 को प्रेषित किया गया था, में 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब दिनांक 19.10.2023 अनुसार अपीलार्थीयां का उक्त आवेदन पत्र दिनांक 13.09.2023 को प्राप्त हुआ, जिसमें बिन्दु संख्या 2 की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थीयां को प्रेषित की गई, जो अपीलार्थीयां को प्राप्त भी हो गई है। बिन्दु संख्या 1 एवं 3 के संबंध में, जो सूचनाएं चाही गई है आवक–जावक अनुभाग की रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रार्थना पत्रों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर को भेजा गया है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 1 एवं 3 से संबंधित प्रार्थना पत्रों दिनांक 07.07.2023 एवं 01.08.023 का संबंध जिला परिषद से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत अपने कार्यालय के पत्रांक 991–92 दिनांक 14.09.2023 से जिला परिषद को अंतरित किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलार्थीयां द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 28.08.2023 में चाही जा रही वांछित सूचना के बिन्दु संख्या 2 की सूचना प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीयां का उपलब्ध करवा दी गई है एवं शेष बिन्दु संख्या 1 एवं 3 की सूचना का संबंध जिला परिषद से होने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत अपने कार्यालय के पत्रांक 991–92 दिनांक 14.09.2023 से जिला परिषद को अंतरित किया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलार्थीयां खारिज की जाती है।

अपीलार्थीयां को चाहिए कि वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त करे एवं सूचना नहीं मिलने की स्थिति में सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर एवं अपीलार्थीयां को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर